आवश्यक

पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- पं0नि0 30-95/2021 - 1372

प्रेषक,

योगेन्द्र राम,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक - 9.3.21

विषय : त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के पदों पर आम निर्वाचन,2021 – निर्वाचन संचालन से संबंधित निदेश।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 1058 दिनाक 26.02.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के क्रम में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के कंडिका 8(3)(घ)(ii) में बिहार पदों एवं सेवाओं को रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (अधिनियम-1991) बिहार अधिनियम-3/1992 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) एवं पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची-2) से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 13623 दिनांक 10.09.2015 के अनुसूची-1 में अंकित जाति के व्यक्तियों को ही पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित पंचायत पदों पर नामांकन स्वीकृत किये जाने के संबंध में निदेश दिये गये हैं। सुलभ प्रसंग हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 11699 दिनांक 10.12.2020 की छायाप्रति भी संलग्न किये गये हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अत्यन्त पिछड़े वर्गों/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन किया गया है, जो निम्नवत् है –

(1) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 12054 दिनांक 05.08.2016 द्वारा अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूचि-1) के क्रमांक 115 से लोहार जाति को विलोपित किया गया है तथा पत्रांक 10818 दिनांक 8.08.2016 द्वारा लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की सुविधा प्रदान की गई है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न)

(2) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 1125 दिनांक 27.01.2021 द्वारा कतिपय जातियों को बिहार राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची में समावेशित किया गया है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न)

अनुरोध है कि आयोग के पत्रांक 1058 दिनांक 26.02.2021 के क्रम में सभी संबंधित पदाधिकारियों को उक्त सूची अविलम्ब उपलब्ध कराने की व्यवस्था एवं उक्त सूची के अनुसार आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कार्रवाई करने का निदेश देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

सचिव 08/03/2021

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

D:\pm5\P_E_Sanchalan_21/50

8.3.21

ज्ञापांक - पं0नि0 30-95/2021 – 1372 पटना, दिनांक – 9.3.21

प्रतिलिपि मुख्य सचिव/अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-95/2021 – 1372 पटना, दिनांक – 9.3.21

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-95/2021 – 1372 पटना, दिनांक – 9.3.21

प्रतिलिपि श्री राजेश कुमार, आई.टी. मैनेजर को आयग के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव। 08/03/2021

पत्र संख्या–11/आ०नी०–II–02/2019 सा०प्र०..................

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।

पटना–15, दिनांक..........................

विषय :– संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा बिहार राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची में समावेशन के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पुनर्गठन के पश्चात् उत्तरवर्ती बिहार हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–225 दिनांक–16.01.2007 द्वारा अंग्रेजी भाषा में परिचारित की गई है। पुनः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–696 दिनांक–14.01.2016 के द्वारा अनुसूचित जनजाति की सूची का हिन्दी रूपान्तरण सहित परिचारित किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–12016/06/2020–एस सी डी (आर एल सैल) दिनांक–28.08.2020 द्वारा संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 दिनांक–17.12.2002 के द्वारा बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची की प्रविष्टियों में कतिपय जातियों का समावेशन किया गया है। समावेशित जातियों की सूची अंग्रेजी एवं हिन्दी पाठ के साथ लोकहित में इस पत्र के साथ संलग्न कर परिचारित किया जा रहा है। विभागीय परिपत्र संख्या–225 दिनांक–16.01.2007 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(जय शंकर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

FILE PATH-D/ABHINEET SHYAM – HINDI LETEER

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–225 दिनांक–16.02.2007 के साथ संलग्न अनुसूचित जाति की सूची की प्रविष्टि में समावेशन :–

1. प्रविष्टि–6 :– चमार, मोची, चमार–रबिदास, चमार–रविदास, चमार–रोहिदास, चर्मरकार

   Chamar, Mochi, Chamar-Rabidas, Chamar-Ravidas, Chamar-Rohidas, Charmarkar

2. प्रविष्टि–9 :– धोबी, रजक

   Dhobi, Rajak

3. प्रविष्टि–10 :–डोम, धनगड, बांसफोड़, धारीकर, धरकर, डोमरा

   Dom, Dhangad, Bansphor, Dharikar, Dharkar, Domra

4. प्रविष्टि–20 :–पान, सवासी, पानर

   Pan, Sawasi, Panr

22/1/2021

(74)

पत्र संख्या–11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0 10818

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।

पटना–15, दिनांक 08/8/16

विषय :– **Lohara (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (संख्या–108/1976) द्वारा बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक–22 पर **Lohara, Lohra** (लोहार, लोहरा) अंकित था, जिसे संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006 (संख्या–48/2006) द्वारा संशोधित करते हुए बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक–21 के रूप में Lohara, Lohra (लोहारा, लोहरा) सूचीबद्ध किया गया है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 (संख्या–23/2016) द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006 (संख्या–48/2006) को निरसित कर दिया गया है। अतः ऊपर वर्णित स्थिति में अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (संख्या–108/1976) के आलोक में Lohara (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने एवं अन्य सुविधायें दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन,

8/8/2016

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0 10818 पटना–15, दिनांक– 08/8/16

प्रतिलिपि–ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(2) अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

8/8/2016

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0 10818 पटना–15, दिनांक– 08/8/16

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार पटना/सभी विश्वविद्यालय/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/8/2016

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0 10818 पटना–15, दिनांक– 08/8/16

प्रतिलिपि–अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे अधिकार सॉफ्टवेयर में अपलोड करने की कृपा की जाय।

8/8/2016

सरकार के अपर सचिव

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 भाद्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 689) पटना, मंगलवार, 23 अगस्त 2016

सं0 11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0—10818
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।

पटना–15, दिनांक 08 अगस्त 2016

विषय :– **Lohara** (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (संख्या–108/1976) द्वारा बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक–22 पर Lohara, Lohra (लोहार, लोहरा) अंकित था, जिसे संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006 (संख्या–48/2006) द्वारा संशोधित करते हुए बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक–21 के रूप में Lohara, Lohra (लोहारा, लोहरा) सूचीबद्ध किया गया है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 (संख्या–23/2016) द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006 (संख्या–48/2006) को निरसित कर दिया गया है। अतः ऊपर वर्णित स्थिति में अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (संख्या–108/1976) के आलोक में Lohara (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने एवं अन्य सुविधायें दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन,
राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 689-571+200-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in

पत्र संख्या–11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0 12054

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।

पटना–15, दिनांक 05/8/16

विषय :– बिहार हेतु अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–115 से लोहार (Lohar) जाति को विलोपित करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 (संख्या–23/2016) द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006 (संख्या–48/2006) को निरसित कर दिया गया है।

2. फलतः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–10818 दिनांक–08.08.2016 द्वारा अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (संख्या–108/1976) के आलोक में Lohara (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने का आदेश निर्गत किया जा चुका है।

3. विदित हो कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–13623 दिनांक–10.09.2015 द्वारा परिचारित बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (अधिनियम–1991) बिहार अधिनियम–3/1992 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–115 पर कमार (लोहार और कर्मकार) अंकित है।

4. लोहार जाति के एक साथ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित रहने के कारण उक्त जाति के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान करने में कठिनाई हो रही है।

5. उल्लेखनीय है कि बिहार अधिनियम–11, 1993 – बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा–2 (3) खंड (त्र) के स्पष्टीकरण में प्रावधान किया गया है कि– यदि अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची 1 और 2 में प्रमाणित वर्गों में से किसी वर्ग को राष्ट्रपति

71

के किसी आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन–जाति के रूप में अधिसूचित किया जाता है, तो ऐसे वर्ग को उक्त अनुसूची से विलोपित हुआ समझा जायेगा।

6. अतः बिहार अधिनियम–11, 1993 के आलोक में बिहार हेतु अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–115 पर अंकित प्रविष्टि कमार (लोहार और कर्मकार) में से कमार (कर्मकार) को यथावत् रखते हुए लोहार **(Lohar)** जाति को विलोपित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

(राजेन्द्र राम) 5/9/2016

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0 12054 पटना–15, दिनांक 05/9/16

प्रतिलिपि–ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(2) अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

5/9/2016

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0 12054 पटना–15, दिनांक 05/9/16

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार पटना/सभी विश्वविद्यालय/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/9/2016

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0 12054 पटना–15, दिनांक 05/9/16

प्रतिलिपि–अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि लोहार **(Lohar)** जाति संबंधी विलोपन को अधिकार सॉफ्टवेयर में अपलोड करने की कृपा की जाय।

5/9/2016

सरकार के अपर सचिव।